

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 12/वि0-197/2024- 07(आ0) पटना - 15 ,दिनांक :- 17/04/2026
सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय - वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत कनीय अभियंताओं को योजनाओं के निर्माण कार्य के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु कनीय अभियंता के कार्यालय में फर्नीचर/ स्टेशनरी, इत्यादि उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्पोट फंड के रुप में ₹ 142.00 लाख (एक करोड़ बयालीस लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति।

प्रसंग: विभागीय संकल्प संख्या-6ए/वि01-10157/2017-2969 दिनांक-22.12.2017

उपर्युक्त विभागीय संकल्प द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के मुख्य शीर्ष के अधीन सर्पोट फंड के रुप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

2. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना के ज्ञापांक-पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0-1012/2013 (पार्ट-4)-33 दिनांक-09.03.2026 के द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कनीय अभियंताओं को योजनाओं के निर्माण कार्य के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु कनीय अभियंता के कार्यालय में फर्नीचर/ स्टेशनरी, इत्यादि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति कार्यालय रु0 25000.00 एक मुश्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सर्पोट फंड में उपलब्ध राशि से निम्न तालिका के अनुसार ₹ 142.00 लाख (एक करोड़ बयालीस लाख रुपये) मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र0 सं0 | लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम | प्रमंडल अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रशाखा की संख्या | प्रमंडल अंतर्गत प्रति प्रशाखा एकमुश्त देय राशि | कुल प्रस्तावित विमुक्त राशि | अभियुक्ति |
|----------|------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | पटना पूर्व | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 2 | पटना पश्चिम | 13 | 25000.00 | 3,25,000.00 | |
| 3 | बिहारशरीफ | 12 | 25000.00 | 3,00,000.00 | |
| 4 | हिलसा | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 5 | गया | 13 | 25000.00 | 3,25,000.00 | |
| 6 | शेरघाटी | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 7 | नवादा | 14 | 25000.00 | 3,50,000.00 | |
| 8 | जहानाबाद | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 9 | आरा | 14 | 25000.00 | 3,50,000.00 | |
| 10 | बक्सर | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 11 | अरवल | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 12 | औरंगाबाद | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 13 | सासाराम | 19 | 25000.00 | 4,75,000.00 | |
| 14 | भभुआ | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 15 | मुजफ्फरपुर | 8 | 25000.00 | 2,00,000.00 | |
| 16 | मोतीपुर | 8 | 25000.00 | 2,00,000.00 | |
| 17 | सीतामढ़ी | 18 | 25000.00 | 4,50,000.00 | |
| 18 | शिवहर | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 19 | हाजीपुर | 16 | 25000.00 | 4,00,000.00 | |
| 20 | छपरा | 20 | 25000.00 | 5,00,000.00 | |
| 21 | सीवान | 19 | 25000.00 | 4,75,000.00 | |
| 22 | गोपालगंज | 14 | 25000.00 | 3,50,000.00 | |
| 23 | मोतिहारी | 14 | 25000.00 | 3,50,000.00 | |

| क्र० सं० | लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम | लोक स्वास्थ्य प्रशाखा की संख्या | प्रति प्रशाखा एकमुश्त देय राशि | कुल प्रस्तावित विमुक्त राशि | अभियुक्ति |
|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | ढाका | 13 | 25000.00 | 3,25,000.00 | |
| 25 | बेतिया | 18 | 25000.00 | 4,50,000.00 | |
| 26 | दरभंगा | 18 | 25000.00 | 4,50,000.00 | |
| 27 | मधुबनी | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 28 | झंझारपुर | 10 | 25000.00 | 2,50,000.00 | |
| 29 | समस्तीपुर | 20 | 25000.00 | 5,00,000.00 | |
| 30 | सहरसा | 10 | 25000.00 | 2,50,000.00 | |
| 31 | सुपौल | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 32 | मधेपुरा | 14 | 25000.00 | 3,50,000.00 | |
| 33 | पूर्णिया | 8 | 25000.00 | 2,00,000.00 | |
| 34 | धमदाहा | 6 | 25000.00 | 1,50,000.00 | |
| 35 | किशनगंज | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 36 | कटिहार | 16 | 25000.00 | 4,00,000.00 | |
| 37 | अररिया | 5 | 25000.00 | 1,25,000.00 | |
| 38 | फारबिसगंज | 4 | 25000.00 | 1,00,000.00 | |
| 39 | भागलपुर पूर्व | 13 | 25000.00 | 3,25,000.00 | |
| 40 | भागलपुर पश्चिम | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 41 | बांका | 7 | 25000.00 | 1,75,000.00 | |
| 42 | बाराहाट | 5 | 25000.00 | 1,25,000.00 | |
| 43 | मुंगेर | 11 | 25000.00 | 2,75,000.00 | |
| 44 | शेखपुरा | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 45 | जमुई | 12 | 25000.00 | 3,00,000.00 | |
| 46 | बेगूसराय | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 47 | तेघड़ा | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 48 | लखीसराय | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| 49 | खगड़िया | 9 | 25000.00 | 2,25,000.00 | |
| | कुल- | 568 | | 1,42,00,000.00 | |

3. अनुरोध है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत कनीय अभियंताओं को योजनाओं के निर्माण कार्य के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु कनीय अभियंता के कार्यालय में फर्नीचर/ स्टेशनरी, इत्यादि उपलब्ध कराये जाने हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत संबंधित प्रमंडल को उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित राशि विमुक्त की जाय।

3/16
17/04/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :- 12/वि0-197/2024- 07 (मा0)

पटना - 15, दिनांक :- 17/04/2026

प्रतिलिपि-सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्पोट फंड के लेजर से प्रमंडल को उपर्युक्त विमुक्त राशि से कनीय अभियंताओं को योजनाओं के निर्माण कार्य के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु कनीय अभियंता के कार्यालय में फर्नीचर/ स्टेशनरी, इत्यादि उपलब्ध कराये जाने हेतु पर किया जायेगा।
- इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हाल में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

3/16
17/04/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :- 12/वि0-197/2024-07(आ0)

पटना - 15 दिनांक :- 17/04/2026

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/ विशेष पदाधिकारी/राज्यपाल, BSWSM, प्रशाखा-4/प्रशाखा-6/प्रशाखा-12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय कुमार सिंह

17/04/26

(अभय कुमार सिंह)
अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)